अतिमहत्वपूर्ण /एग्रीस्टैक टास्क फोर्स

संख्याः 53/2026/भा0स0-103/2026/12-5/39/2023/1773117

प्रेषक,

डॉ. एम.के. शन्मुगा सुन्दरम्,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, सहकारिता विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग एवं समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. कुलपति, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, उ0प्र0
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर(RSAC), लखनऊ।
6. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0।
8. मुख्य महाप्रबंधक(CGM), नाबार्ड(NABARD), लखनऊ।
9. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति(SLBC), उत्तर प्रदेश।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड(मण्डी परिषद)।
11. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी(SIO), NIC, उ0प्र0।
12. स्टेट नोडल आफिसर(एग्रीस्टैक)।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 01 अक्टूबर, 2026

विषय: एग्रीस्टैक (AgriStack) डेटा के शत-प्रतिशत आच्छादन एवं किसानों हेतु इसके प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय टास्क फोर्स (State-Level Task Force - SLTF) तथा जनपद स्तरीय टास्क फोर्स (District-Level Task Force - DLTF) के गठन के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या-*11021/6/2026-Digital Agriculture, दिनांक 09.09.2026* के माध्यम से दिनांक 25 अगस्त 2026 को आयोजित PRAGATI समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, राज्य में एग्रीस्टैक (AgriStack) डेटा के शत-प्रतिशत आच्छादन एवं किसानों हेतु इसके प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय टास्क फोर्स (State-Level Task Force - SLTF) तथा जनपद स्तरीय टास्क फोर्स (District-Level Task Force - DLTF) का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. राज्य स्तरीय टास्क फोर्स (State-Level Task Force - SLTF) का गठन:

1	मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ.प्र. शासन	सदस्य-सचिव/संयोजक
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उ0प्र0शासन	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
11	कृषि निदेशक, उ0प्र0	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12	आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0	सदस्य
13	निदेशक, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर(RSAC), लखनऊ	सदस्य
14	निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0	सदस्य
15	कुलपति/प्रतिनिधि, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, उ0प्र0	सदस्य
16	मुख्य महाप्रबंधक(CGM), नाबार्ड(NABARD), लखनऊ	सदस्य
17	संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति(SLBC), उत्तर प्रदेश	सदस्य
18	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड(मण्डी परिषद)	सदस्य
19	राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी(SIO), NIC, उ0प्र0	सदस्य
20	स्टेट नोडल आफिसर(एग्रीस्टैक)	सदस्य

2. जनपद स्तरीय टास्क फोर्स (District-Level Task Force - DLTF) का गठन:

1	जिलाधिकारी (DM)	अध्यक्ष
2	उप कृषि निदेशक	सदस्य-सचिव / संयोजक
3	जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
4	अधिशासी अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	सदस्य
5	भूमि संरक्षण अधिकारी(मृदा एवं जल संरक्षण)	सदस्य
6	सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता	सदस्य
7	जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी/जिला आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
8	जिला पंचायत राज अधिकारी(DPRO)	सदस्य
9	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी(DSTO)	सदस्य
10	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(DIO, NIC)	सदस्य
11	अग्रणी जिला प्रबंधक(LDM)एवं डीडीएम, नाबार्ड(NABARD)	सदस्य
12	जिला कृषि अधिकारी (DAO) एवं तकनीकी विशेषज्ञ(डिजिटल एग्रीकल्चर)	सदस्य

3. राज्य नोडल अधिकारी(State Nodal Officer-AgriStack): भारत सरकार द्वारा विकसित किये जा रहे डैशबोर्ड के प्रबन्धन, समयबद्ध डेटा अपलोडिंग एवं सत्त अनुश्रवण हेतु संयुक्त कृषि निदेशक(शोध एवं मृदा सर्वेक्षण) को स्टेट नोडल अधिकारी- AgriStack के रूप में नामित किया जाता है।

4. कार्य-शर्तें (Terms of Reference - ToR):

1. **थीमैटिक क्षेत्रों का निर्धारण:** राज्य एवं जिला टास्क फोर्स एग्रीस्टैक डेटा के पूर्ण उपयोग हेतु विशिष्ट विषयगत क्षेत्रों (Thematic Areas) पर विचार-विमर्श (Brainstorming) करेगी।
2. **समस्याओं की पहचान एवं समाधान:** प्राथमिकता वाली समस्याओं की पहचान करना, डेटा तत्परता का आंकलन करना तथा उच्च प्रभाव वाले यूज़ केस (Use Cases) की सूची तैयार करना।
3. **यूज़ केस प्रस्ताव:** प्रत्येक यूज़ केस हेतु लक्षित उपयोगकर्ता, वर्तमान प्रक्रिया/कमियां, आवश्यक डेटा, प्रस्तावित कार्यप्रणाली (Workflow), अपेक्षित लाभ, कार्यान्वयन की व्यवहार्यता तथा AI/ML अनुप्रयोगों में मानवीय पर्यवेक्षण को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना।
4. **प्रस्ताव प्रस्तुत करना:** तैयार किए गए समीकृत प्रस्तावों को **31 अक्टूबर 2026** तक भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को निर्धारित डैशबोर्ड पर अपलोड/प्रेषित करना।

5. प्रमुख विषयगत क्षेत्र (Indicative Thematic Areas for brainstorming):

1) आधारभूत डेटा गुणवत्ता, भूमि / सर्वे एकीकरण एवं इंटरऑपरेबिलिटी:-

i. किसान रजिस्ट्री, बटाईदार/किरायेदार किसानों, पट्टा धारकों आदि के कवरेज में अंतराल एवं विसंगतियों की पहचान और समाधान।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ii. भू-संदर्भित भूमि अभिलेखों एवं डिजिटल फसल सर्वेक्षण का एकीकरण।
iii. सर्वेक्षण, नामांतरण (Mutation), पंजीकरण एवं भूमि अभिलेख संबंधी प्रक्रियाओं का सुधार।
iv. राज्य एवं केन्द्र की कृषि प्रणालियों के साथ सामान्य मानकों/APIs के माध्यम से इंटरऑपरेबिलिटी।
v. डेटा गुणवत्ता की निरंतर निगरानी, अद्यतन चक तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना।

2) किसान पहुँच, पहचान एवं योजना / सेवा वितरण:-

i. सत्यापित Farmer ID के माध्यम से योजनाओं एवं सेवाओं तक सरल और समावेशी पहुँच।
ii. दस्तावेजों के बार-बार प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता को कम करना।
iii. कृषि आदानों एवं लाभों का पारदर्शी एवं ट्रेस करने योग्य वितरण।
iv. उर्वरक, बीज एवं कीटनाशकों की आवश्यकता आधारित बिक्री तथा फसल-विशिष्ट सलाह को बढ़ावा देना।

3) कृषि उत्पादन, फसल नियोजन एवं विस्तार सेवाएँ:-

i. भूमि, मृदा, मौसम, कृषि जलवायु क्षेत्र और सिंचाई की जानकारी के आधार पर बेहतर कृषि निर्णय।
ii. व्यक्तिगत कृषि परामर्श (Personalized Agronomic Advisory)।
iii. मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन तथा फसल संदर्भ से उसका समन्वय।
iv. सटीक कृषि (Precision Agriculture) एवं लक्षित विस्तार सेवाएँ।

4) जोखिम प्रबंधन, फसल निगरानी एवं बीमा:-

i. जोखिमों की शीघ्र पहचान एवं आकस्मिकता योजना।
ii. उत्पादन पूर्वानुमान में सुधार।
iii. फसल बीमा में नामांकन एवं फसल सत्यापन को बेहतर बनाना।
iv. साक्ष्य-आधारित क्षति आंकलन एवं शमन व्यवस्था को सुदृढ़ करना

5) बाजार, खरीद, लॉजिस्टिक्स एवं कटाई-पश्चात् मूल्य श्रृंखला:-

i. उत्पादन ऑकड़ों के आधार पर कच्चे माल के क्लस्टर एवं आपूर्ति क्षेत्रों का मानचित्रण।
ii. कृषि प्रसंस्करण, भंडारण, कोल्ड चेन एवं लॉजिस्टिक्स अवसंरचना की योजना।
iii. ई-मण्डी एवं भौतिक बाजारों तक पहुँच में सुधार।
iv. किसानों/FPOs को प्रसंस्करण इकाईयों एवं खरीदारों से जोड़ना।

6) कृषि ऋण एवं वित्तीय सेवाएँ:-

i. संस्थागत वित्त तक बेहतर पहुँच।
ii. सत्यापित किसान/फसल डेटा के आधार पर सहमति-आधारित डिजिटल ऋण प्रक्रिया।
iii. ऋण मूल्यांकन में सुधार।
iv. बैंकिंग, NABARD एवं वित्तीय सेवा प्रणालियों के साथ अभिसरण।

7) कृषि नियोजन एवं सांख्यिकी:-

i. फसल क्षेत्र एवं उत्पादन आंकलन के आधार पर साक्ष्य-आधारित सरकारी योजना निर्माण।
ii. संसाधनों का बेहतर आवंटन।
iii. कृषि जनगणना तथा अन्य सांख्यिकीय गतिविधियों को सुदृढ़ करना।

8) एकीकृत कृषि मूल्य श्रंखला नियोजन हेतु डेटासेट / प्रौद्योगिकियों का संयोजन:-

i. AI, मौसम, कृषि जलवायु और अन्य डेटा का उपयोग कर उत्पादन परिदृश्यों एवं बाजार बुद्धिमता (Market Intelligence) का पूर्वानुमान।

9) अन्य अभिनव उपयोग मामले (Innovative Use Cases):-

i. AgriStack के ऐसे अतिरिक्त परिणामोन्मुखी उपयोग, जो स्वतंत्र रूप से अथवा अन्य डेटाबेस/रजिस्ट्रियों के साथ संयोजन में किसानों, कृषि मूल्य श्रंखला एवं विभागों को लाभ पहुँचाएँ।

भवदीय,
डॉ. एम. के. शन्मुगा सुन्दरम्
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-53/2026/भा0स0-103/12-5/39/2023/1773117, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृषि निदेशक, उ0प्र0 के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार को उनके पत्र संख्या-11021/6/2026-Digital Agriculture, दिनांक 09.09.2026 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त उप कृषि निदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त अधिशासी अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
5. समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी(मृदा एवं जल संरक्षण), उ0प्र0।
6. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता, उ0प्र0।
7. समस्त जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी/जिला आपूर्ति अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी(DPRO), उ0प्र0।
9. समस्त जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी(DSTO), उ0प्र0।
10. समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(DIO, NIC), उ0प्र0।
11. समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक(LDM)एवं डीडीएम, नाबार्ड(NABARD), उ0प्र0।
12. समस्त जिला कृषि अधिकारी (DAO) एवं तकनीकी विशेषज्ञ(डिजिटल एग्रीकल्चर), उ0प्र0।

आज्ञा से,
संजीव रंजन
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।